सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–गु0वि0 / TLM–निर्देश एवं बजट / 2065 / 2011–12 दिनांक 04 अगस्त, 2011

विषयः–<u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु 'शिक्षक–अनुदान' संबंधी बजट एवं उपयोग हेतु निर्देश।</u>

महोदय / महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में जनपदवार प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण / क्रय के लिए प्रत्येक शिक्षक को ₹ 500 /– की दर से 'शिक्षक–अनुदान' संबंधी बजट प्रेषित किया जा रहा है। 'शिक्षक–अनुदान' के उपयोग के सम्बन्ध में शर्तें निम्नवत् हैं:–

1.<u>अर्हता</u> – शिक्षक अनुदान निम्न प्रकार के विद्यालयों को प्रदान किया जायेगा :–

(I) परिषदीय एवं राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय; तथा

(II) ऐसे सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय / सहायता प्राप्त मदरसा / समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों:–

- इन विद्यालयों की दाखिला नीति राज्य में परिषदीय विद्यालयों की दाखिला नीति जैसी हो;
- ऐसे विद्यालय छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों;
- अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए;
- अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों जैसी होनी चाहिए;
- विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम परिषदीय विद्यालय के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए);
- सहायता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट संस्थाओं / राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायता प्राप्त मकतब / मदरसों की सूची जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी तथा समाज

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; [illegible]

कल्याण विभाग द्वारा संचालित सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए।

2.**धनराशि अंतरण** – समयबद्ध धनराशि अन्तरण निम्नवत सुनिश्चित किया जायेगा :–

(क) अध्यापकों को शिक्षक अनुदान की धनराशि शैक्षिक सत्र के प्रथम माह में उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) यह धनराशि परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् प्रत्येक अध्यापक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसे निम्नवत अन्तरित किया जायेगा:–

- ग्रामीण क्षेत्र के समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं/शिक्षा मित्रों की 'शिक्षक–अनुदान' की धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।
- नगर क्षेत्र के शिक्षक/शिक्षिकाओं/शिक्षा मित्रों की 'शिक्षक–अनुदान' राशि वार्ड शिक्षा समिति के खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।

(ग) सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/राजकीय विद्यालयों/ सहायता प्राप्त मदरसों व मकतबों तथा समाज कल्याण द्वारा संचालित विद्यालयों में प्राथमिक वर्ग के लिए अधिकतम 5 अध्यापकों और उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए अधिकतम 3 अध्यापकों हेतु धनराशि संबंधित संस्था के प्रधान अध्यापक या मौलवी या प्रधानाचार्य के खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।

3.**शिक्षक अनुदान का उपयोग** – वर्ष 2011–12 में शिक्षक अनुदान की राशि का उपयोग निम्नवत किया जाएगा :–

- जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) **15 अगस्त, 2011** तक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समन्वयक (वै. शिक्षा) एवं समस्त ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र समन्वयकों/सह–समन्वयकों की बैठक आयोजित करायेंगे। बैठक में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिये विषयवार वॉछित शिक्षण अधिगम सामग्री की सुझावात्मक सूची बनायी जायेगी तथा उक्त सामग्री को स्थानीय संसाधनों से निर्माण करने अथवा क्रय के विकल्पों के संबंध में भी सुझावात्मक मन्तव्य दिया जायेगा।
- उक्त बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर चिह्नित की गयी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता एवं कक्षा शिक्षण में उपयोग सुनिश्चित करने के लिये जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा कार्ययोजना बनायी जायेगी।
- शैक्षिक सत्र 2011–12 में प्रत्येक शिक्षक द्वारा बनायी गयी अथवा क्रय की गयी शिक्षण अधिगम सामग्री की विद्यालयवार सूची बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 पर संकलित की जायेगी तथा निरीक्षण के समय प्रस्तुत की जायेगी।
- नवनिर्मित कार्ययोजना के अनुरूप नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षक अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रत्येक विद्यालय को **दिनॉक 20 अगस्त, 2011** तक विस्तृत, लिखित निर्देश उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे।
- शिक्षण अधिगम सामगी के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों/सह–समन्वयकों एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा तथा सघन अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया

जायेगा। जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा कृत कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन किया जायेगा।

4. उपभोग प्रमाण पत्र –

- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011–12 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शिक्षक अनुदान की धनराशि एवं उपयोग के निर्देश **दिनॉक 20 अगस्त, 2011** तक अध्यापकों को उपलब्ध कराये जायेंगें।
- प्रभावी कक्षा–शिक्षण हेतु **दिनॉक 25 अगस्त, 2011 तक** विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा आवश्यक सामग्री का निर्माण/क्रय कर लिया जाये।
- शिक्षक अनुदान मद के उपभोग प्रमाण–पत्र को सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा तथा **दिनॉक 31 अगस्त, 2011 तक** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी **दिनॉक 15 सितम्बर, 2011** तक शिक्षक अनुदान मद का उपभोग प्रमाण–पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

तद्नुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षक अनुदान मद की धनराशि सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति मैनुयल में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुरुप अन्तरण एवं उपभोग की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(के0 राम मोहन राव)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गु0वि0/TLM–निर्देश एवं बजट/2065/2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक, बेसिक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
3. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त जनपद।
10. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय,समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) समस्त जनपद, उ0प्र0।

12/5.8.11

(दिनेश बाबू शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पत्रांक:-गु0वि0/TLM-निर्देश एवं बजट/ /2011-12 दिनॉक अगस्त, 2011 का संलग्नक

Districts	Primary School		Upper Primary School		Total Amount To Be Released for TLM Grant
	No. of Teachers	Fin. (@ ₹ 0.005 Lacs)	No. of Teachers	Fin. (@ ₹ 0.005 Lacs)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-Agra	6168	30.840	2683	13.415	44.255
2-Aligarh	6226	31.130	2261	11.305	42.435
3-Allahabad	8139	40.695	3768	18.840	59.535
4-Ambedkar Nagar	5103	25.515	1485	7.425	32.940
5-Auraiya	4071	20.355	1590	7.950	28.305
6-Azamgarh	9569	47.845	3357	16.785	64.630
7-Badaun(A)	7715	38.575	1637	8.185	46.760
8-Baghpat(A)	1971	9.855	899	4.495	14.350
9-Baharaich	6864	34.320	1106	5.530	39.850
10-Balia	7350	36.750	2216	11.080	47.830
11-Balrampur(A)	4311	21.555	823	4.115	25.670
12-Banda	4939	24.695	1232	6.160	30.855
13-Barabanki	7030	35.150	1993	9.965	45.115
14-Bareilly(A)	6924	34.620	2203	11.015	45.635
15-Basti	5333	26.665	1805	9.025	35.690
16-Bhadohi	3067	15.335	1179	5.895	21.230
17-Bijnor	6138	30.690	2142	10.710	41.400
18-Buland Shahar	5551	27.755	2410	12.050	39.805
19-Chandauli	3743	18.715	1484	7.420	26.135
20-ChhatrapatiSMNagar	4734	23.670	1352	6.760	30.430
21-Chitrakoot	3065	15.325	887	4.435	19.760
22-Deoria	6258	31.290	2575	12.875	44.165
23-Etah	4034	20.170	1524	7.620	27.790
24-Etawah	4129	20.645	1791	8.955	29.600
25-Faizabad	5101	25.505	1407	7.035	32.540
26-Farrukhabad	4186	20.930	1846	9.230	30.160
27-Fatehpur	6294	31.470	2393	11.965	43.435
28-Firozabad(B)	4052	20.260	1486	7.430	27.690
29-GBNagar	1802	9.010	510	2.550	11.560
30-Ghaziabad	3369	16.845	1157	5.785	22.630
31-Ghazipur	6338	31.690	2440	12.200	43.890
32-Gonda	5732	28.660	1532	7.660	36.320
33-Gorakhpur(B)	7454	37.270	3102	15.510	52.780
34-Hamirpur	2755	13.775	928	4.640	18.415
35-Hardoi(A)	8447	42.235	2422	12.110	54.345

36-Hathrus	2919	14.595	1574	7.870	22.465
37-Jalaun	2975	14.875	1635	8.175	23.050
38-Jaunpur(B)	8548	42.740	3032	15.160	57.900
39-Jhansi	3902	19.510	1452	7.260	26.770
40-JPNagar	3840	19.200	1018	5.090	24.290
41-Kannauj	3516	17.580	1418	7.090	24.670
42-KanpurDehat (RamabaiNagar)	4791	23.955	1489	7.445	31.400
43-KanpurNagar	6050	30.250	2181	10.905	41.155
44-KanshiramNagar	3232	16.160	696	3.480	19.640
45-Kaushambi	3216	16.080	1189	5.945	22.025
46-Kushinagar (B)	6195	30.975	1254	6.270	37.245
47-Lakhimpur	7276	36.380	1522	7.610	43.990
48-Lalitpur(A)	2964	14.820	1099	5.495	20.315
49-Lucknow	5405	27.025	1780	8.900	35.925
50-Maharajganj	4651	23.255	1192	5.960	29.215
51-Mahoba	1867	9.335	779	3.895	13.230
52-Mainpuri	4628	23.140	1486	7.430	30.570
53-Mathura (B)	4952	24.760	1931	9.655	34.415
54-Mau	5060	25.300	1752	8.760	34.060
55-Meerut	4137	20.685	1857	9.285	29.970
56-Mirzapur	5358	26.790	1139	5.695	32.485
57-Moradabad(A)	6815	34.075	2104	10.520	44.595
58-Muzaffar Nagar	5050	25.250	2439	12.195	37.445
59-Pilibhit	3616	18.080	1414	7.070	25.150
60-Pratapgarh	7104	35.520	1461	7.305	42.825
61-RaiBareilly(A)	4874	24.370	1953	9.765	34.135
62-Rampur	4576	22.880	1354	6.770	29.650
63-Saharanpur	5708	28.540	1934	9.670	38.210
64-SKNagar	3368	16.840	835	4.175	21.015
65-Shahjahanpur (B)	6473	32.365	1731	8.655	41.020
66-SiddharthNAgar(A)	5197	25.985	1210	6.050	32.035
67-Sitapur	9994	49.970	2577	12.885	62.855
68-Sonebhadra	4013	20.065	937	4.685	24.750
69-Srawasti(A)	2640	13.200	470	2.350	15.550
70-Sultanpur	5179	25.895	2005	10.025	35.920
71-Unnao	6380	31.900	2071	10.355	42.255
72-Varanasi (B)	5608	28.040	1939	9.695	37.735
Total	**370039**	**1850.195**	**121534**	**607.670**	**2457.865**